संख्या- 17 /2021/ 800 /23-2-2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2021

विषय:- राज्य योजना (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में पचवार सोनबरसा नाले पर निर्मित सेतु के पहूँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहूँच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-209 एल0ए0/एल0ए0 21, दिनांक 06.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना (सामान्य) के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में पचवार सोनबरसा नाले पर निर्मित सेतु के पहूँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए इस हेतु सुसंगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ में से रू0 5.85 करोड़ के आगणन की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 2.92 करोड़ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जोयगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वितीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) विभाग द्वारा वित (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 16/ 2018/ बी- 2-979/ दस- 2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर , 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(8) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - ३ / २०२१ / बी - १ - ३७५ / दस - २०२१ - २३१ / २०२१ , दिनांक २२ मार्च , २०२१ में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1330-प्रदेश के कपिय मार्गो हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था-60 भूमि क्रय मद" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0 ओ 0-ई-8-3186/दस-2021-22, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by अभय कुमार
Date: 17-12-2021 17:17:23
Reason: Approved

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2021/800/23-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner